न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि.सं.– 37/2017
आरसीएमएस :– 2017/00034
दायर तिथि– 14.07.2017
तारीख निर्णय – 30.12.2019

प्रार्थी :–
मंदिर श्री सुभद्रामाताजी साण्डेराव
जरिये अध्यक्ष, जगतसिंह राणावत पुत्र उगमसिंह राणावत
जाति – राजपूत निवासी –साण्डेराव, तहसील–सुमेरपुर, जिला – पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट, 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 30.12.2019

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा साण्डेराव प्रथम पटवार क्षेत्र साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 2 रकबा 91 बीघा 12 बिस्वा किस्म जवाई अव्वल भूमि मंदिर श्री सुभद्रामाताजी साण्डेराव के नाम आयी हुई स्थित है, पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 91 बीघा 12 बिस्वा किस्म जवाई अव्वल भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा आयी हुई स्थित है। उपरोक्त नये खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 2 मी. से बने हुये है। उपरोक्त भूमि गत खसरा नं. 2 मी की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व जवाई अव्वल दर्ज रही है, जो जमाबन्दी संवत 2016 से प्रमाणित है तथा वक्त सेटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 2 मी से नये बने नये खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा को सैटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के द्वारा गत खसरा नम्बर दर्ज करते समय उपरोक्त भूमि की किस्म जवाई अव्वल से किस्म गै.मु. व गै.मु. वाडा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान रेकर्ड में लगातार चली रही है। उपरोक्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद भी जवाई कमाण्ड क्षेत्र में ही स्थित है एवं वर्तमान में भी खेती होती है। उपरोक्त खाते की अन्य खसरो की खातेदारी भूमि की किस्म पूर्व रेकर्ड अनुसार सही दर्ज है जो जवाई नहर से सिंचित होती आ रही है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा दर्ज किये जाने से बाराबन्दी में वादी की खातेदारी भूमि का इन्द्राज नहीं किया गया है, जिससे वादी को जवाई नहर से सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने में भारी असुविधा होती है।

(2) प्रार्थी की उक्त भूमि की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व जवाई अव्वल दर्ज रही है तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा भूलवश किस्म जवाई नहरी के स्थान पर किस्म गै.मु. व गै.मु. वाडा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है , जो किस्म परिवर्तन बिना किसी कारण से की गयी है।

(3) उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 91 बीघा 12 बिस्वा किस्म जवाई अव्वल भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा प्रार्थी के नाम दर्ज है।

..............................लगातार पेज 2

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाव में यह बताया कि ग्राम साण्डेराव के पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 91 बीघा 12 बिस्वा किस्म जवाई अव्वल भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा बने है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 717 के अनुसार मंदिर श्री सुभद्रामाताजी साण्डेराव के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है जो जवाई कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार काश्तकार मुंग की फसल बो रखी है। गत खसरा नम्बर 2 रकबा 91 बीघा 12 बिस्वा भूमि की किस्म जवाई नहरी से बदलकर गै.मु. वाडा सेटलमेन्ट में दर्ज होना पाया है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वक्त सेटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 2 मी से नये बने नये खसरा नम्बर 3/2510 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 4/2513 किस्म गै.मु , खसरा नम्बर 13 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु वाडा व खसरा नम्बर 14 रकबा 1. 00 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाडा को सैटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के द्वारा उपरोक्त भूमि की किस्म जवाई अव्वल से किस्म गै.मु. व गै.मु. वाडा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। उपरोक्त भूमि में दर्ज किस्म गै.मु व गै.मु. वाडा के स्थान पर पूर्व अनुसार जवाई अव्वल दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का साण्डेराव एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पटवारी हल्का साण्डेराव व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.01.08 13:12:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: